

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन ग्रुप-3 विभाग

कमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक 5 AUG 2011

—:आज्ञा:—


विषय:- राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक + मोबाइल + इन्टरनेट + ब्राडबैंड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।

राजकीय अधिकारीगण के निवास पर राजकीय टेलीफोन/मोबाइल सुविधा/इन्टरनेट/ ब्राडबैंड उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 29.1.08 के अधिकमण में राजकीय अधिकारीगण को निवास पर टेलीफोन सुविधा (बेसिक + मोबाइल + इन्टरनेट + ब्राडबैंड) संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार निर्धारित सीमा तक व्यय करने एवं वास्तविक व्यय का भुगतान/पुर्नभरण प्राप्त करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. प्रस्तावित मासिक वित्तीय सीमा में स्थानीय कॉल्स/एस.टी.डी./मोबाइल फोन कॉल्स/इन्टरनेट/ब्राडबैंड सुविधायें सम्मिलित होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को स्वयं के नाम से मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन ही लेना होगा।
2. अधिकारी स्वीकृत वित्तीय सीमा तक एक मोबाइल फोन एवं एक लैण्ड लाईन तथा टेलीफोनिक इन्टरनेट सुविधा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी टेरिफ प्लॉन के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे। इन्टरनेट/ब्राड-बैंड, लैण्ड लाईन के साथ अथवा ब्राड-बैंड कार्ड के माध्यम से भी ली जा सकती है। सिर्फ ब्राड बैंड/इन्टरनेट के लिए भी पृथक टेलीफोन लिया जा सकता है। अधिकारीगण को मोबाइल फोन/ब्राडबैंड/इन्टरनेट कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा मोबाइल फोन नहीं लेने पर ₹ 500/- प्रतिमाह व ब्राड बैंड नहीं लेने पर ₹ 500/- प्रतिमाह अनुज्ञेय सीमा में से स्वतः कम होकर शेष राशि ही देय होगी। यानि कोई अधिकारी यदि ब्राड बैंड इन्टरनेट/मोबाइल का उपयोग नहीं करता है तो इसके पेटे ₹ 1000/- प्रतिमाह वित्तीय सीमा में से स्वतः कम हो जायेंगे।
3. एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय को पूर्व महिनों के कम व्यय से बची राशि से समायोजन किया जा सकेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक इन सुविधाओं के बिल भुगतान किये जायेंगे। निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर अधिक राशि संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
5. अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टेलीफोनिक सर्विस के बिल का भुगतान करने के उपरान्त निर्धारित वित्तीय सीमा तक की राशि का पुर्नभरण मूल बिल एवं भुगतान की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार से प्राप्त किया जा सकेगा।
6. सभी अधिकारी बिल का सत्यापन स्वयं करेंगे। बिल के प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणित लिखा जाना पर्याप्त होगा। निजी सचिव/निजी सहायक द्वारा सत्यापित बिल मान्य नहीं होगा।
7. राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल हैंड सेट/टेलीफोन यंत्र/मॉडम उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा तथा न ही इनके क्रय पर किये व्यय का पुर्नभरण होगा।
8. प्रत्येक अधिकारी हेतु श्रेणीवार जो मासिक वित्तीय सीमा अनुज्ञेय है इस वित्तीय सीमा में सरचार्ज राशि सम्मिलित है टेलीफोन/मोबाइल बिलों का भुगतान हमेशा यथासमय हो इसे सुनिश्चित कर लिया जाये। लेकिन अधिकारी के द्वारा विज्ञापन करने से कनेक्शन का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है जो रिकनेक्शन चार्ज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा देय नहीं होगा।
9. राज्य सेवा में पति/पत्नि के होने की स्थिति में दोनों उक्त सुविधा का पृथक पृथक उपयोग कर सकेंगे।
10. पूर्व में जिन अधिकारियों ने स्वयं/स्पाउस के नाम में टेलीफोन उपयोग की अनुमति प्राप्त कर ली है उन्हे स्कीम के अनुसार पुर्नभरण देय होगा।


11. अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने पर बकाया अनुज्ञेय सीमा राशि समाप्त मानी जायेगी। यह सुविधा उन्ही अधिकृत अधिकारियों को देय होगी जिनके लिये स्वीकृति सक्षम स्तर पर पूर्व में प्राप्त है।
12. यदि कोई अधिकारी एक माह या इससे अधिक अवधि के लिये किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहते हैं, तो अवकाश अवधि के कॉल्स की राशि स्वयं अधिकारी द्वारा वहन की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा अवकाश अवधि के लिये निवासीय टेलीफोन बेसिक की रेंट राशि का ही पुर्नभरण किया जायेगा।
13. कोई अधिकारी अगर पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रहता है अथवा निलम्बित रहता है तो उसे कोई टेलीफोन की सुविधा देय नहीं होगी।
14. उक्त आदेश में वर्णित वर्गीकृत श्रेणी अनुसार वित्तीय सीमा मोबाइल ब्राडबैंड/इण्टरनेट के लिये तभी अनुज्ञेय होगी जबकि उस पद हेतु बेसिक टेलीफोन स्वीकृत है।
15. किसी भी निजी टेलीफोन का सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना सीधे भुगतान नहीं होगा आहरण व वितरण अधिकारी ऐसे टेलीफोन बिल भुगतान करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेंगे।

यह आज्ञा वित्त विभाग की आई.डी.सं 2627/वित्त/व्यय-2/07 दिनांक 22.12.07, 675/वित्त / व्यय-2/09 दिनांक 30.03.2009 तथा आई.डी. संख्या 131100712 दिनांक 27.7.11 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


प्रमुख शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/मान. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
9. अध्यक्ष, राज. राज्य पिछडावर्ग आयोग, जयपुर।
10. समस्त शासन उप सचिवगण/समकक्ष अधिकारीगण
11. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाइल+इण्टरनेट+ब्राडबैंड) के बिल भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि बिल की राशि सम्बन्धित अधिकारी को देय मासिक/वार्षिक अनुज्ञेय सीमा में ही है। बिन्दू संख्या 5 के अनुक्रम में सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त टेलीफोन/मोबाइल बिलों का भुगतान/पुर्नभरण बिल प्रस्तुत करने पर सीधे ही लेखाशाखा द्वारा किया जावेगा।
12. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि बिल पारित करने के पूर्व शर्त. नं. 1 व 2 की पालना सुनिश्चित कर ली जाये।
13. रक्षित पत्रावली।


उप-शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकार्थुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
7. सचिव कर बोर्ड, अजमेर।


उप-शासन सचिव

5 AUG 2011

Lump-sum financial entitlement for bundled services (Mobile, Landline, broadband /Internet at residence)		
S.No.	Officers	entitlement in Rupees (₹) for each month
1.	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Chief Secretary ⇒ Director General of Police ⇒ Addl. Director General Police (Intelligence) ⇒ OSD to CM 	Unlimited
2.	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ All Addl. Chief Secretaries ⇒ Additional Chief Secretary/Principal Secretary Finance ⇒ Additional Chief Secretary/Principal Secretary Home ⇒ Chairman, Board of Revenue, Ajmer ⇒ Chairman, RPSC, Ajmer ⇒ DG, Anti corruption Bureau ⇒ Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Governor ⇒ Principal R.C. New Delhi ⇒ Principal Secretary/Secretary to CM ⇒ Principal Secretary/Secretary ; GAD ⇒ Addl. Director General ATS ⇒ Press Advisor to CM 	6500/-
3.	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ RC & ARC New Delhi ⇒ Addl. Director General CID (CB) ⇒ Spl. Secretary to CM ⇒ Dy. Secretaries to CM ⇒ Press Attache to CM ⇒ Deputy Chief of Protocol, GAD 	4500/-
4.	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Chairman, Raj. State Backward Classes Commission ⇒ D.G. Jail ⇒ D.G. Civil Defence and Home guard ⇒ Principal Secretary/Secretary DOP ⇒ Commissioner Excise ⇒ Commissioner, Commercial Taxes ⇒ Addl. D.G. Police (Admn.) ⇒ Addl. D.G. Police, Crime ⇒ Addl. Director General Anti Corruption Bureau ⇒ IG., CID Intelligence ⇒ Inspector General (Law & Order) ⇒ All Divisional Commissioners ⇒ Member, Raj. State Backward Classes Commission ⇒ All Member, Board of Revenue, Ajmer ⇒ Member, RPSC, Ajmer ⇒ Principal Chief Conservator of Forests ⇒ All District Collectors ⇒ All IG's Range Police 	3500/-

E 5 AUG 2011

	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ All IG's Range Police ⇒ All DIG's Police Range ⇒ IG, ATS ⇒ All District Police Superintendents ⇒ All other Addl. DG other than included category 1&2 ⇒ I.G.P. (Law & Order) ⇒ I.G.P. CID (Inta.) ⇒ Dy. Director to CM 	
5.	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Advocate General Rajasthan High Court ⇒ Chairman, Rajasthan State Civil Services, Appellate Tribunal, Jaipur ⇒ Chairman, Tax Board, Ajmer ⇒ All Principal Secretaries/Secretaries (other than included in category 2&4) ⇒ Commissioner Transport ⇒ Commissioner, BIP ⇒ Commissioner, State Insurance & PF ⇒ Commissioner, Industries ⇒ Commissioner, College Education ⇒ Commissioner, Primary Education ⇒ Commissioner, land Settlement ⇒ Commissioner, Labor ⇒ Commissioner, Social Justice & Empowerment ⇒ Commissioner, Agriculture ⇒ Commissioner, Mid-Day Meal ⇒ Commissioner, TAD ⇒ Commissioner, Devasthan ⇒ Commissioner, Employment Guarantee Scheme ⇒ Member, Rajasthan State Civil Services, Appellate Tribunal, Jaipur ⇒ Member Tax Board, Ajmer ⇒ Addl. Principal Chief Conservator of Forest 	3500/- PM
6.	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Chief Conservator of Forest ⇒ I.G. (Regi. & Stamp) Ajmer ⇒ All IGP other than included in Serial No. 4 ⇒ I.G. Anti Corruption Bureau ⇒ DIG, ATS, Jaipur ⇒ Police Superintendent, S.O.G ⇒ All Special Secretaries ⇒ Commissioners/Director, DIPR ⇒ Commissioner Command Area Development, Bikaner ⇒ Member Secretary, Raj. State Economic Backward Classes commission ⇒ Member Secretary State backward Classes ⇒ Registrar, Board of Revenue, Ajmer ⇒ Dy. Secretary (A) GAD ⇒ Controller, State Motor Garage, Jaipur 	2500/- PM

5 AUG 2011

7.

- ⇒ All HOD's [Other than mentioned above]
- ⇒ Conservator of Forest
- ⇒ All DIG other than all range Dy. IGP
- ⇒ DIG (ACB)
- ⇒ All S.P. [Other than Distt. S.P.]
- ⇒ Special/Addl./Asstt. IG's
- ⇒ All Dy. Secretaries to Govt.
- ⇒ All Addl. Collectors.
- ⇒ Private Secretary to CM & Chief Secretary
- ⇒ Private Secretary to all Ministers/State Ministers/
Parliament Secretaries (where the post of Special
Asstt. does not exist)
- ⇒ OSD, Parliamentary Affairs Department.
- ⇒ Protocol Officer, GAD
- ⇒ Chief Pilot, Air Craft/Helicopter
- ⇒ Asstt. Secy. Cabinet
- ⇒ Asstt. Secy, Security, Secretariat
- ⇒ Registrar Secretariat
- ⇒ Programmer, CM office
- ⇒ PRO, Mumbai
- ⇒ S.O. Cabinet
- ⇒ ASP/Dy. SP (Intelligence Cell) Excise, Director,
EC.. Cell, Zonal Parties of Addl. SP, Police Station
Check Post , Flying Squads
- ⇒ All other officers (other than Judicial
Officers/Judges, and mentioned at category 1 to 6
above) who have been sanctioned Telephone
facility at residence.

1750/-PM